


राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग
क्रमांक प.8 (ग)()नियम/डीएलबी/18/40658
संशोधित अधिसूचना


जयपुर, दिनांक: 25/02/2020
02/03/2020

इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.8 (ग)()नियम/डीएलबी/18/40615
दिनांक 25.02.2020 के विन्दु संख्या 1 में आदेश दिनांक 01.12.1957 के स्थान पर दिनांक
01.12.1987 पढा जावें।


(उज्जवल राठौड)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक: 02/03/2020

क्रमांक:प.8(ग)()नियम/डीएलबी/18/40659-66
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
3. प्राधिकारी नगर निगम जयपुर-ग्रेटर, जयपुर।
4. आयुक्त, नगर निगम जयपुर-ग्रेटर, जयपुर।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
6. नोडल अधिकारी मॉनेटरींग सेल ईगर्वनेन्स को नेट पर उपलब्ध कराने हेतु।
7. पुष्पा जयपुरिया फाउण्डेशन, जयपुरिया विद्यालय के पास, इन्द्रा नगर, जयपुर।
8. सुरक्षित पत्रावली।
9. प्रोग्रामर निदेशालय को भेजकर लेख है कि उक्त संशोधित अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी